न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. ज्ञानी } पिसरान रामप्रसाद उर्फ हल्के जाति मीना निवासी ससेड़ी तहसील करौली
2. रामदास }
3. संतो पत्नि रामखिलाड़ी } जाति मीना निवासी जाखैर तहसील करौली
4. तीजो पत्नि रामरूप }
5. छोटी पत्नि स्व. रामप्रसाद उर्फ हल्के } जाति मीना निवासी ससेड़ी तहसील करौली
6. लखन } पिसरान भूदानी
7. नरेश }
8. कमला पत्नि स्व. भूदानी
9. ऋषिबाई पत्नि रामकेश जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर
10. पिण्टू पुत्र संतू
11. उत्तम बाई पत्नि स्व. संतू } जाति मीना निवासी ससेड़ी तहसील करौली
12. मोनम पुत्री संतू
13. लाखनबाई पत्नि भगवानसिंह जाति मीना निवासी चरी का हार तहसील सपोटरा
14. माखनबाई पत्नि विजयसिंह } जाति मीना निवासी डूंडापुरा तहसील करौली
15. सोनम पत्नि रामरज }

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1182 / 2 रकबा 2 बीघा व खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 02 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 02 विस्वा बाके ग्राम ससेड़ी तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1182 रकबा 4 बीघा 05 विस्वा व खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 02 विस्वा ग्राम ससेड़ी सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2035–38 तक के खाता संख्या 174 किस्म बारानी–3 से श्री रामप्रसाद उर्फ हल्के पुत्र सुन्दर जाति मीना निवासी ससेड़ी के नाम नामांतरकरण संख्या 130, 178, 230 से जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री रामप्रसाद उर्फ हल्के पुत्र सुन्दर जाति मीना निवासी सा.देह (देवताओं से संबंधित जोत) दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1182 / 2 रकबा 2 बीघा व खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 02 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 02 विस्वा

जिला कलक्टर
करौली

रकबा 0–11 बीघा बाके ग्राम ससेड़ी को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 130, 178, 230 34/30.07.91 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8 वकालतन उपस्थित आये लेकिन उनके द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया। वक्त बहस अप्रार्थीगण/वकील अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 1182 रकबा 4 बीघा 05 विस्वा व खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 02 विस्वा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2035–38 तक के खाता संख्या 174 किस्म बारानी–3 से श्री रामप्रसाद उर्फ हल्के पुत्र सुन्दर जाति मीना निवासी ससेड़ी के नाम नामांतरकरण संख्या 130, 178, 230 से जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री रामप्रसाद उर्फ हल्के पुत्र सुन्दर जाति मीना निवासी सा.देह (देवताओं से संबंधित जोत) दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ससेड़ी की आराजी खसरा नंबर 1182/2 रकबा 2 बीघा व खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 02 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 02 विस्वा रकबा 0–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली